चौथा संसार, इन्दौर
9 AUG 2012

# विशेष संयुक्त राष्ट्र संघ लोक सेवा अवार्ड मिला

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रशासन में नवाचारी प्रयासों के रूप में मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया था। वह न केवल देश के समक्ष बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मध्यप्रदेश के इन प्रयासों पर मोहर लगाते हुए अधिनियम को लोक सेवा अवार्ड के लिए चुना। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र संघ का लोक सेवा अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड उत्तरदायी लोक प्रशासन, नवाचार और पेशेवर कुशलता को बढावा देने के लिए दिया जाता हैं इस बार ४७१ अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियों में से मध्यप्रदेश के इस अधिनियम को इम्प्रूविंग दि डिलेवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता को सुगम और सरल तरीके से लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश में लागू किये गये इस कानून को संयुक्त राष्ट्र संघ का अवार्ड मिलना सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है।

संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा के विशेषज्ञों की समिति ने १५ सितम्बर से ३१ दिसम्बर २०११. तक अपनी प्रकिया के तहत विश्लेषण के बाद ७ मई को ये परिणाम घोषित किये है। सरकार के लोक सेवा गारंटी विभाग ने मध्यप्रदेश की ओर से प्रविष्टि भेजी थी। इसका उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक सेवा के मूल्यों और गुणात्मकता को प्रोत्साहित करना है। इसमें विश्व के नवाचारों को पुरस्कार के रूप में मान्यता ओर सम्मान दिया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस दिशा में पहल की, लेकिन सर्वमान्य प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बन पाई। या तो लोक सेवा प्रदाय तंत्र विफल सिद्ध हुआ। जनसंख्या बढने से कई ऐसे परिवर्तन हुए जिससे सेवाएँ देने वाला तंत्र विफल हो गया, जैसे शहरीकरण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन, प्रशासनिक तंत्र के प्रबंधन के लिए जरूरी अमले की कमी। मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश के सामने लोक सेवाओं के प्रदाय की ऐसी व्यवस्था दी हैं जिससे लोक सेवाओं के प्रदाय में आने वाली सभी बाधाएँ दूर करने में मदद मिली है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम २०१० के माध्यम से लोक सेवा प्रदाय मॉडल को न सिर्फ भारतीय राज्यों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना और मान्यता मिली है। जहाँ देश के ग्यारह राज्यों ने मध्यप्रदेश के इस क्रांतिकारी विधान का अक्षरश: पालन किया है, वहीं हाल ही में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित यू.एन.पब्लिक सर्विस अवार्ड २०१२ से इस पहल को पुरस्कृत किया गया है। लोक सेवाओं के प्रदाय में नवाचारी व्यवस्था की यह सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरवशाली उपलब्धि है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यूं तो प्रदेशभर में लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का सूत्रपात कर प्रदेश के जन नायक बने हुए हैं देशभर में भी उनके कार्यों की अनेकों बार सराहना हुई है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नवाचारी प्रयासों मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को अवार्ड देना सचमुच गौरव की बात है। यह ऐसा सम्मान हैं जिसने सम्पूर्ण प्रदेशवासियों का मस्तक ऊँचा किया हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान सचमुच बधाई के पात्र है।

▸▸ प.छोटू शास्त्री